

प्रेषक,

श्री शंकर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2007

विषय : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन निर्माण कराये जाने वाले चिकित्सालयों हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, खेल-कूद, हालीडे रिजार्ट्स/टूरिस्ट रिजार्ट्स, नर्सिंग होम तथा मेडिकल कालेज आदि के लिए शासनादेश संख्या: 1704/9-आ-1-1996, दिनांक 19.4.96 तथा शासनादेश संख्या : 231/9-आ-1-99, दिनांक 1.2.1999 के अधीन रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु नीति निर्धारित की गई है। परन्तु राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन निर्माण कराये जाने वाले चिकित्सालयों हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनसामान्य को समुचित मात्रा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें सुलभ कराने के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन निर्मित कराये जाने वाले चिकित्सालयों हेतु आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निम्न व्यवस्थानुसार भूमि उपलब्ध कराई जायेगी :-

(i) विभिन्न स्तर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल निम्नवत् होगा :-

क्र.सं.	चिकित्सा सुविधा का स्तर	जनसंख्या का मानक	भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल
1.	स्वास्थ्य केन्द्र	15,000 पर एक	800 वर्गमीटर
2.	बाल कल्याण एवं प्रसूति गृह	45,000 पर एक	2000 वर्गमीटर
3.	सामान्य अस्पताल (न्यूनतम 100 शैय्याओं का)	1,00,000 पर एक	02 हेक्टेयर

(ii) आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा उपरोक्त मानकों के अनुसार अपनी योजनाओं में चिकित्सा सुविधाओं हेतु भूमि आरक्षित की जाएगी, जो सम्बन्धित शासकीय विभाग को लीज पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि की लागत अपनी योजना की विक्रय-योग्य भूमि पर भारित कर आवंटियों से वसूल की जायेगी।

(iii) सम्बन्धित शासकीय विभाग द्वारा चिकित्सालयों का निर्माण प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधापनों के अनुसार किया जायेगा तथा भूखण्ड परिसर के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) 'मेडिकल वेस्ट' (Medical waste) का निस्तारण अनिवार्य रूप से 'इन्सनरेशन पद्धति' या कोई अन्य अनुमन्य पद्धति से सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कूपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या – 154/आठ-3-07, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आर.के. सिंह
विशेष सचिव।